खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागीय अपील

श्री सुजीत कुमार बनाम बिहार सरकार

आदेश

अपीलार्थी श्री सुजीत कुमार उपस्थित।

17.11.2025

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि के रूप में प्रशाखा पदाधिकारी श्री गौतम कुमार सिंह उपस्थित

प्रस्तुत अपीलवाद अपीलार्थी श्री सुजीत कुमार, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, मेजरगंज, सीतामढ़ी सम्प्रति मधेपुर, मधुबनी के द्वारा दायर किया गया है। यह अपीलवाद अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प ज्ञापाक–1025 / पटना, दिनांक–28.03.2007 के द्वारा निर्धारित प्रावधान के तहत दायर किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना का आदेश ज्ञापांक–6246 / खाद्य, पटना दिनांक–08.12.2017 में पारित आदेश जिसके तहत् अपीलार्थी श्री सुजीत कुमार, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, मेजरगंज, जिला सीतामढ़ी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14(V) के तहत तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड संसूचित किया जाता है तथा उनके विरूद्ध संचालित उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है एवं तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है, को अपीलीय प्राधिकार के समक्ष चुनौती दी गयी है एवं उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपलब्ध अभिलेख, साक्ष्य एवं अन्य संलग्न कागजात के अवलोकन से संक्षेप में वस्तुस्थिति इस प्रकार से है– श्री सुजित कुमार, आपूर्ति निरीक्षक, मेजरगंज, जिला–सीतामढी अपने पदस्थापन के दौरान जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा लाभार्थियों से अवैध राशि की वसूली एवं उन्हें कम मात्र में राशन की आपूर्ति कर किये गये गबन में संलिप्तता, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, अनुशासनहीनता तथा कर्त्तव्यहीनता संबंधित प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के लिए गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–2430 दिनांक–18.05.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुये उप निदेशक (खाद्य), पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित तीनों आरोप प्रमाणित पाये गये। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–5179 दिनांक–10.10.2017 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारणपृच्छा / स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

उक्त के क्रम में श्री सिंह के द्वारा समर्पित द्वित्तीय कारणपृच्छा की समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में मूल रूप से उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया है, जिसका उल्लेख उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान समर्पित अपने स्पष्टीकरण में किया गया था। इस प्रकार विभागीय समीक्षा में श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री कुमार ने अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुये मुख्य रूप से प्रतिवेदित किया है कि जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा गठित जाँच दल द्वारा मेजरगंज प्रखंड के मात्र 02 (दो) जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं क्रमशः श्री सुखारी राम, ग्राम–कुआरी मदन, प्रखंड–मेजरगंज, अनु०सं०–10/2007 एवं श्री रामरेखा प्रसाद, ग्राम–मेजरगंज, प्रखंड–मेजरगंज, अनु0सं0–22/2007 के दुकानों की जाँच की गयी। उपरोक्त दोनों विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम देने एवं अधिक मूल्य लेने के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर के ज्ञापांक क्रमशः 84/आ० एवं 85/आ० दिनांक–10.02.2016 के द्वारा रद्द कर दी गयी थी और इस कार्य में मेरी संलिप्तता के आरोप में मुझे निलंबित करते हुए मेरे विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाया गया।

श्री सुखारी राम, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत–कुआरी मदन, प्रखंड–मेजरगंज एवं श्री रामरेखा प्रसाद, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत–मेजरगज ने अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–84/आ० एवं 85/आ० दिनांक–10.02.2016 के विरूद्ध न्यायालय समाहर्ता, सीतामढ़ी के न्यायालय में क्रमश अपीलवाद सं0–31/2016 एवं अपीलवाद सं0–32/2016 दायर किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् विक्रेता के विरूद्ध जिन उपभोक्ताओं के द्वारा जाँच पदाधिकारी के समक्ष कतिपय आरोप लगाया गया था, उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने का सूचना निर्गत किया गया। सूचनोपरान्त दिनांक–19.08.2016 को न्यायालय में श्री सुखारी राम, ज०वि०प्र० विक्रेता के सभी 08 (आठ) उपभोक्ताओं ने उपस्थित होकर न्यायालय को बताया कि विक्रेता द्वारा निर्धारित दर पर ही किरासन तेल दिया जाता है एवं अनुदानित खाद्यान्न भी समय–समय पर सही मात्रा में वितरण के समय दिया जाता है। विक्रेता के विरूद्ध इन लोगों ने कोई भी आरोप नहीं लगाया था। "जाँच पदाधिकारी के द्वारा सादा कागज पर इन लोगों से निशान लगवा लिया गया था।" इसी प्रकार श्री रामरेखा प्रसाद, ज०वि०प्र० विक्रेता से संबंधित उपभोक्ताओं ने भी विद्वान समाहर्ता के न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्त बयान ही दिया।

विद्वान समाहर्ता ने उपरोक्त दोनों अपीलवाद की सुनवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए वाद को रिमांड करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया कि पुनः नये सिरे से उदभूत नये तथ्यों की रौशनी में विक्रेता के दलील को सुनकर नैसर्गिक न्याय के प्रावधानों का पालन करते हुए विधि–सम्मत् आदेश पारित किया जाए।

अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर ने उपरोक्त दोनों विक्रेताओं द्वारा नये सिरे से समर्पित स्पष्टीकरण एवं उस पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रीगा द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य एवं समाहर्ता, सीतामढ़ी द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपने पत्रांक क्रमशः 457/आ० एवं पत्रांक–458/आ० दिनांक– 01.12.2016 के द्वारा अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित कर दिया। यहाँ पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसा कि जाँच टीम ने उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये बयान को मेरे द्वारा स्वीकार करने के संबंध में लिखा है बिल्कुल तथ्य से परे एवं निराधार है।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्य का भी महत्वपूर्ण है। प्रथमतया जाँच टीम द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा सादे कागज पर हस्ताक्षर एवं निशान लिया जाना। समाहर्ता, सीतामढ़ी के न्यायालय द्वारा बचे तथ्यों की रौशनी में अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर को नैसर्गिक न्याय का पालन करते हुये विधि–सम्मत् आदेश पारित करने संबंधी आदेश देना एवं उपरोक्त दोनों विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति का अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर द्वारा पुनर्जीवित करना तथा सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य को ताक पर रखकर मुझे दंडित करने संबंधी आदेश पारित करना। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि मेरे विरूद्ध की गयी दंडात्मक कार्रवाई नैसर्गिक न्याय के विपरित है।

विभाग का मानना है कि श्री सुजीत कुमार के द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिसका उल्लेख उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान

समर्पित अपने स्पष्टीकरण में किया था। इस प्रकार विभागीय समीक्षा में श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

अपीलार्थी का अपीलीय प्रधिकार के समक्ष समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि समाहर्ता, सीतामढ़ी ने आपूर्ति अपीलवाद संख्या–31/2016 श्री सुखाकारी राम बनाम बिहार सरकार दिनांक 19.08.2016 को अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर द्वारा पारित आदेश को जिसके द्वारा ज्ञापांक–84/आ० दिनांक–10.02.2016 में पारित आदेश जिसके तहत् जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था। उसे निरस्त करते हुये वाद को Remand करते हुए निदेश दिया कि पुनः नये सिरे से उद्भूत नये तथ्यों की रौशनी में विक्रेता के दलील को सुनकर नैसर्गिक न्याय के प्रावधानों का पालन करते हुये विधि–सम्मत् आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार समाहर्ता, सीतामढ़ी ने पारित अपीलवाद संख्या–32/2016 श्री रामरेखा प्रसाद बनाम बिहार सरकार में अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सादर द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–85/आ० दिनांक–10.02.2016 जिसके तहत् जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था। उसे दिनांक–19.08.2016 को समाहर्ता, सीतामढ़ी ने अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी के उक्त आदेश को निरस्त करते हुये अभिलेख को नये सिरे से सुनवाई करते हुये अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी को Remand कर दिया।

अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर उपरोक्त दोनों विक्रेताओं द्वारा नये सिरे से समर्पित स्पष्टीकरण एवं उस पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रीगा द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य एवं समाहर्ता सीतामढ़ी द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपने पत्रांक क्रमशः–457/आ० एवं पत्रांक–458/आ० दिनांक–01.12.2016 के द्वारा अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित कर दिया।

अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर स्पष्टीकरण एवं उद्भूत नयी परिस्थितियों में जिसके तहत् उक्त दोनों आरोपित जन वितरण प्रणाली विक्रेता को विधि पूर्वक पुनर्जीवित कर दिया गया एवं अपीलार्थी के द्वारा दायर स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाता है।

फलतः खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक–6246/खाद्य, पटना दिनांक–08.12.2017 के द्वारा अधिरोपित दंड आदेश को निरस्त (Set aside) किया जाता है। फलतः प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकार करते हुये वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित
ह0/–
(लेशी सिंह)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ह0/–
(लेशी सिंह)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(सीतामढ़ी)–10/2016– 3519 खाद्य, पटना/दिनांक–09/12/2025

प्रतिलिपि–1. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/उप निदेशक (खाद्य), पटना प्रमंडल, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सीतामढ़ी, मधुबनी एवं सुपौल/अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर एवं निर्मली, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 / आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. श्री सुजीत कुमार (कोटि क्रमांक–58 / 2024), सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, निर्मली, सुपौल (तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, मेजरगंज, सीतामढ़ी), मोबाइल संख्या–7870766116, E-Mail ID : sujeet_rk@rediffmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र08–गो0आ0(सीतामढ़ी)–10 / 2016– 3519 खाद्य, पटना / दिनांक-09/12/2025
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।